20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

136

न्यायालय मान0राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर

निग - 1271 - II/16

प्रकरण क्रमांक - /2016 निगरानी

श्री.पी.नायक एडव्होकेट द्वारा आज दि. 21-4-16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

राजाराम पुत्र रामचरन यादव,
ग्राम मौगना तहसील मोहनगढ़
जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरुद्ध

1- श्रीमती रामकली खँगार, सरपँच
ग्राम पंचायत मौगना तहसील मोहनगढ़
जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश ---असल अनावेदक

2- भारतीय इन्फोटेल लिमिटेड एच-3,
चौथी मंजिल मेट्रो टावर विजयनगर
चौराहा इन्दौर हाल ग्राम मौगना
तहसील मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़, ---तरतीवीं अनावेदक

(निगरानी अंतर्गत धारा 50, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 - विरुद्ध आदेश दिनांक 11-4-2016 - पारित व्दारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश - प्रकरण क्रमांक 143 बी-121/15-16)

महोदय,

निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण

यह कि आवेदक ग्राम मौगना स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1414 का अभिलिखित भूमिस्वामी है, इसी भूमि के अंश भाग पर तरतीवीं अनावेदक व्दारा जनसुविधा की दृष्टि से मोवायल टावर का निर्माण लगभग पूर्ण किये जाने की ओर है। यह कि सरपंच ग्राम पंचायत मौगना ने तहसीलदार मोहनगढ़ को इस आशय की आपत्ति दिनांक 6-1-16 को प्रस्तुत कि कंपनी ने ग्राम पंचायत गौर के क्षेत्र में टावर लगाया है जिसके कारण ग्राम मौगना में सिगनल अच्छे मिल रहे हैं इसलिये मोवायल टावर का निर्माण न किया जाय। तहसीलदार मोहनगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 79 बी 121/15-16 में अंतरिम आदेश दिनांक 7-1-16 पारित किया तथा ग्राम मौगना में आवेदक की भूमि पर चल रहे टावर निर्माण पर स्थगन लगा दिया। इसके उपरांत प्रकरण

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 1271–दो /2016 जिला टीकमगढ़

तारीख	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
23.6.16	अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाषक ने शीघ्र सुनवाई का आवेदन पत्र दिनांक 20–5–16 प्रस्तुत किया है किन्तु इसकी प्रति आवेदक के अभिभाषक को दिया जाना ज्ञात नहीं है। प्रकरण आज शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर लिया गया। आवेदक के अभिभाषक को वार–वार पुकारा गया गया, किन्तु वह अनुपस्थित है, जिसके कारण अनावेदक क्र–1 के अभिभाषक के तर्क सुने गये। यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण क्रमांक 143/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11–4–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाषक के तर्कानुसार अनावेदक क्रमांक–1 ग्राम की सरपंच है एंव ग्रामीणों की सुविधा को देखते हुये अपर कलेक्टर ने आवेदक की भूमि खसरा नंबर 1414 ग्राम मौगना पर अनावेदक क्रमांक 2 व्दारा टावर लगाया है जबकि निर्माणाधीन टावर के नजदीक पूर्व से ही टावर स्थापित हैं। बिना भूमि का डायवर्सन कराये टावर लगाये जाने कि कारण अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण क्रमांक 143/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11–4–2016 से आवेदक एंव अनावेदक क्र–2 को टाव लगाने से निषेषित किया है इसलिये बेआधार होने से निगरानी निरस्त की जाय।	
	3/ अनावेदक के शीघ्र सुनवाई वावत् दिये गये	

प्र0क0 1271–दो /2016

आवेदन पर विचार करने एंव उनके व्दारा की गई बहस मनन् करने पर स्थिति यह है कि आवेदक की भूमि खसरा नंबर 1414 ग्राम मौगना पर अनावेदक कमांक 2 व्दारा टावर लगाया जा रहा है जबकि निर्माणाधीन टावर के नजदीक पूर्व से ही टावर स्थापित हैं। भूमि का डायवर्सन कराये बिना टावर लगाये जाने के कारण अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 143/बी–121/ 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11–4–2016 से आवेदक एंव अनावेदक क–2 को टावर लगाने से निषेषित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं देता है। अतएव निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी–स्तर पर निरस्त की जाती है । साथ ही आदेश दिनांक 21–4–16 से दिया गया स्थगन भी रिक्त किया जाता है।

सदस्य